उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-4
संख्या:133/2026/804/35-4-2026/35-4002(003)/42/2026
लखनऊ: दिनांक:05 मई, 2026

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र

नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-123/2026/727/35-4-2026/35-4002(003)/24/2026 दिनांक 21 अप्रैल, 2026 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर देहात के स्वीकृत एक कार्य की कार्यदायी संस्था संशोधित करने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-24/2026/499/35-4-2026/35-4002(003)/24/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 अंकित करते हुए हृदयपुर गोकुला रो लोकियापुर से होते हुए फंदा सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य की कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग नामित किए जाने के आदेश निर्गत किया गया हैं।

2. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2026 में अंकित शासनादेश संख्या-24/2026/499/35-4-2026/35-4002(003)/24/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 को संख्या-24/2026/499/35-4-2026/35-4002(003)/42/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 शासनादेश पढ़ा जायेगा।

3. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2026 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:133/2026/804(1)/35-4-2026/35-4002(003)/42/2026 **तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
6- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर मंडल।
8- जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
11- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात।
12- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर देहात।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
14- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
15- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर देहात।
16- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कानपुर देहात।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।